संख्या-1/3/96- का-4- 2000

प्रेषक,

डा0 योगेन्द्र नारायण,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।

कार्मिक अनुभाग-4, लखनऊः दिनांक : सितम्बर 22, 2000 ।

विषयः- सरकारी अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण नीति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक समसंख्यक शासनादेश दिनांक 30 जून, 2000 के क्रम में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है, कि विकलांग कार्मिक के द्वारा अनुरोध किए जाने पर, पद की उपलब्धता के आधार पर, उसे उसके गृह जनपद में तैनात करने पर विचार किया जा सकता है ।

2. कृपया उपर्युक्त आदेशों का सभी स्तरों पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

भवदीय,

डा0 योगेन्द्र नारायण
मुख्य सचिव ।

संख्या-1/3/96(1)-का-4-2000, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. सचिव, श्री राज्यपाल ।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी ।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्रिगण ।
4. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव ।
5. सचिव, विधान परिषद/ विधान सभा, उ0प्र0 ।
6. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
7. सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से,

(प्रदीप शुक्ला)
सचिव ।